




**HARYANA GOVERNMENT  
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT**

**ORDER**



**NO. 22/8-2022 HRG-II (1)**

**DATED, CHANDIGARH, THE 25.05.2022**

Sh. Raj Kumar [048812], Headmaster, Govt. Girls High School Rajouli (0057) Distt. Ambala is hereby deputed in the office of Director General Secondary Education Haryana, Panchkula against vacant post (Project Officer) with immediate effect for the period of 180 days. The salary of Sh. Raj Kumar [048812] may be drawn from the Govt. Girls High School Rajouli (0057) Distt. Ambala

**DR. MAHAVIR SINGH  
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY TO GOVT. OF HARYANA,  
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT**


**OFFICE OF DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION, HARYANA,  
PANCHKULA**

**ENDST. NO. 22/8-2022 HRG-II(1)**

**DATED: PANCHKULA, THE 08.06.2022**

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh.
2. District Education Officer, Ambala.
3. PS/ACSSE, PS/DGSE, PA/Addl. Dir. Admn.-II
4. Headmasters concerned for immediate compliance.
5. The Heads of offices/institutions concerned.
6. IT Cell (H.Q) for uploading the order on Departmental website.
7. Superintendent Admn. Branch (H.Q.)

  
08/06/2022  
**DEPUTY DIRECTOR HRG-II  
FOR DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION,  
HARYANA, PANCHKULA**

८



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार  
**Directorate School Education**  
**विद्यालय शिक्षा निदेशालय**

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास  
 Education, Culture and Development  
 School Education, Haryana  
 विद्यालय शिक्षा, हरियाणा  
 तमसो मा ज्योतिर्गमय  
 Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253  
 कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253  
 e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

**ORDER**

**NO.: 11/7-2022 HRG-1 (3)**

**DATED: 03.06.2022**

Sanction is hereby accorded to grant one month's salary in lieu of leave travel concession to **Smt. Kaushalya Arya, Principal DIET Macchrauli (Jhajjar)** during the Block year 2020-2023 as per terms and conditions of Govt. Letter No.13/19/2008-2SII dated 18.05.2009.

**J.GANESAN**  
**DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION,**  
**HARYANA, PANCHKULA**

**ENDST. NO. EVEN**

**DATED, PANCHKULA, THE 10/06/2022**

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh.
2. Director SCERT Haryana Gurugram w.r.t. their letter No. G-1/2022/1624 dated 25.04.2022.
3. **Smt. Kaushalya Arya, Principal DIET Macchrauli (Jhajjar).**
4. Treasury Officer, concerned.
- ✓ 5. IT Cell (Local).

*Hedan*  
**SUPERINTENDENT HRG-I**  
**FOR DIRECTOR GENERAL SECONDARY EDUCATION**  
**HARYANA, PANCHKULA**



Office: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253  
 कार्यालय: शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253



**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,  
PANCHKULA**

Order No. 1/1-2022 AS (1)

Dated, Panchkula, the 10.06.2022

Sanction for Rs. 3,84,71,579/- (Rupees Three Crores Eighty Four Lacs Seventy One Thousand Five Hundred and Seventy Nine only) for the payment of 1<sup>st</sup> installment of salary grant for the financial year 2022-23, of 1<sup>st</sup> Quarter (from 1<sup>st</sup> April 2022 to 30 June 2022), through Escrow Accounts on the basis of expenditure for the current year i.e. 2022-23 including salary under various units of appropriation, is hereby accorded subject to the following conditions for incurring the expenditure on non-plan and non-recurring basis as per District-wise details given below and School-wise details given in the enclosed lists:-

Sr No	Name of the District	Ist instalment of Salary Grant for the year 2022-23	Arrear of 6th & 7th Pay Commission	Grand Total
1	AMBALA	49,93,426	12,20,410	62,13,836
2	BHIWANI	0	0	0
3	CHARKHI DADRI	0	0	0
4	FARIDABAD	1,26,912	0	1,26,912
5	GURUGRAM	0	0	0
6	HISAR	0	0	0
7	JHAJJAR	0	0	0
8	JIND	5,60,000	0	5,60,000
9	KAITHAL	0	0	0
10	KARNAL	0	1058471	10,58,471
11	KURUKSHETRA	39,94,298	0	39,94,298
12	MAHENDERGARH	0	0	0
13	MEWAT	0	0	0
14	PALWAL	0	0	0
15	PANCHKULA	0	28,95,384	28,95,384
16	PANIPAT	0	0	0
17	REWARI	0	0	0
18	ROHTAK	10,33,193	0	10,33,193
19	SIRSA	3,04,468	46,000	3,50,468
20	SONEPAT	56,70,000	0	56,70,000
21	YAMUNANAGAR	62,39,499	1,03,29,518	1,65,69,017
	<b>Total</b>	<b>2,29,21,796</b>	<b>1,55,49,783</b>	<b>3,84,71,579</b>

Further the sanction may be accorded to all concerned DEOs to disburse the same to the approved Managements/Administrators of the concerned Aided School under their control in their respective Districts subject to the following conditions:-

1. The amount shall be charged/debitable to the Major Head 2202-General Education-02-Secondary Education-110- Assistance to Non Govt. Secondary Schools-98-Grant-in-aid to Non-Govt. School (Salary Grant) scheme as figuring in the printed budget for the year 2022-23.
2. Under no circumstances, the total amount drawn during the year shall exceed the amount indicated in this sanction order unless and until the same is reviewed at the time of finalization of Revised Estimates for the year 2022-23.
3. It is likely that actual justification/requirement for release of funds by the Directorate may be lower/excess than the amount indicated in the schedule attached herewith. If that be the situation, the concerned DEO will be competent to draw the amount indicated for the quarter plus minus the un-utilized portion of the amount for the previous (s) installments of 4<sup>th</sup> quarter as the case may be subject to the condition that such un-utilized portion should not exceed 100% of the installments for the quarter. **It may also be ensured that this installment of salary grant should not exceed of the 75% of admissible grant for the year of 2022-23 of the concerned schools. This amount may be drawn lumpsum before the end of the 1<sup>st</sup> Quarter or not later than 31, July, 2022 positively.**
4. The concerned DEO will be responsible for proper utilization of the amount as sanctioned above in accordance with the stated objectives of the scheme. Further, the sanctioned amount shall not be utilized for any purpose other the one for which it has been sanctioned.
5. The DEO will ensure to obtain the claim of Gratuity from concerned school at their own level and ensure the payment of Gratuity of employees in time. DEOs will be responsible for any lapse of Grant and delay in payment. The DEOs will also ensure the utilization certificates from the GIA receiving bodies and take all steps considered necessary to ensure that the amount has been utilized properly including audit of accounts of grant receiving bodies.
6. The DEO will ensure that the pay of unqualified teachers shall not be charged from salary grant.
7. The DEO may reduce the grant where an employment in any recognized aided school a teacher whose certificate has been withdrawn or who has after due enquiry been declared unfit to be a teacher by the department.
8. No aid shall be admissible, on any special increment, allowance or financial benefit given to the employees by the managing committee at its own level.
9. No aid shall be granted in respect of any employee, who is retained in service beyond the age of superannuation, except in the case of National/State awardees in which extension has been approved by this Directorate.
10. No aid shall be admissible in the case of an employee appointed by the managing committee on part time basis.
11. The minimum number of weekly period of actual secular instructions required for qualify a teacher for full staff, grant shall not be less than as laid down by the department from time to time provided that the staff grant may be reduced or disallowed if this condition is not fulfilled.
12. No grant shall be calculated more than the prescribed scale of the post sanctioned by the department.



13. No grant shall be allowed for the post filled by the managing committee without the approval of the department.
14. The rate of dearness allowance, house rent allowance compensatory allowance shall be claimed as allowed by the Govt./Department from time to time.
15. The District Education Officer shall draw the amount of salary grant sanctioned to the school and remit the amount to the duly authorized correspondent of the school concerned through Escrow account immediately. It should also be ensured that the school has authorized managing committee duly approved by the department. It may also be ensured that the management has actually been made the payment to the employees during the year 2022-23 for which the claim is made.
16. The amount should be rechecked and make payment to the school accordingly but should not be more than the amount to the school. The APRs be sent to the Directorate by 30.06.2022 positively and utilization certificate in respect of this grant duly countersigned by DEO must be sent to the Accountant General., Haryana, Chandigarh directly within 15 days with a copy to this Directorate for record.
17. It may please be ensured that the salary grant is not to be released to the institutions from whom the utilization certificates in respect of any previous grant-in-aid is awaited.
18. No grant will be given to the institution in case it is not permanently recognized.
19. No grant will be given to the institution, if it does not fulfil any condition laid down in the rules for release of the grant.
20. No grant will be given to the institution if any proceedings under Haryana School Education Act, 1995 and rules made there under are pending.
21. DEOs may ensure that grant is not to be released in those cases where institution has been paid the salary of the employees for the last quarter of 2021-22.
22. DEOs may ensure that grant is not be released for those posts on which the teachers working on sanctioned posts have been declared surplus in rationalization report which has been sent to his office/management of the school.
23. DEO may also ensure that Employer's share of CPF (25 % of 10 % of Basic Pay) w.e.f. 5/98 to 06/2022 has been deducted from Grant-in-aid claims of concerned schools. CPF amount may be worked out by S.O. and if any amount is found yet to be recoverable from any school management, the same may be deducted from payable Grant-in-aid of concerned school before releasing this instalment of Grant-in-aid.
24. The concerned DEO's may be directed that the grant allocated to them under this sanction will be utilized for the purpose of payment of pending salary of the staff working on sanctioned posts in the aided schools of their districts till the date of their taken over in Govt. Schools and the staff who is still working on sanctioned posts who have not given option for taken over or whose case is still pending in the department for their taken over.
25. The concerned DEO's may be directed to send the details of the claims duly verified by the Section Officers of their Districts regarding the payment of arrears on account of the revision of the pay scales of staff working on aided schools w.e.f. 01.01.2016 till the date of taken over/relieving from the aided schools and up-to-date in case of the staff who is still working due to not taken over by the department or have not given option for their taken over in Govt. Schools latest by 31.07.2022 through email [aideddse@gmail.com](mailto:aideddse@gmail.com).

26. The concerned DEO's may be further directed that in case the payment of arrears of salary of all the staff already take over remains balance in that case only the arrear of the 6<sup>th</sup> & 7<sup>th</sup> Pay Commission may also be paid through Escrow Accounts after verification of the same by the Section Officer of their offices.
27. The 75% salary grant in aid is granted to aided schools under rule 54(1) of Haryana School Education Rules, 2003.

**Anshaj Singh**  
**Director Secondary Education**  
**Haryana, Panchkula**



**Endst. No. 1/1-2022 AS (1)**

**Dated, Panchkula the: 10.06.2022**

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh.
2. The District Education Officers of the Haryana State with the directions to draw the amount from Treasuries concerned and disburse the same to the Aided Schools immediately, while making payment to the Aided Schools conditions mentioned in the sanction must be adhered strictly.
3. All the Treasury Officers of the Haryana State.
4. Superintendent, Budget Branch (Local).
5. BCA (Local).
6. Joint Director (IT Local)

*10/6/22*  
*Aanchh*

  
**Superintendent A.S.**  
**for Director Secondary Education**  
**Haryana, Panchkula**  




सेवा मे,

Principal GMSSSS Kohli [1239], Hisar

यादी क्रमांक 2/53-2022 work (1)  
दिनांक पंचकुला 08-06-2022

विषय **माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2022-23 (Non-Recurring).**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSSS Kohli [1239]	Completion of multi purpose hall कुल राशि	594000.00 594000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की, हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

*Sanjeev Kumar*  
उप अधीक्षक निर्माण  
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला

पृष्ठांकन क्रमांक 2/53-2022 work (1)

दिनांक, पंचकुला:- 8-06-2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त हिसार।
- 5 जिला खजाना अधिकारी हिसार।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे)
- 9 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

*Sampat Singh*  
उप अधीक्षक निर्माण  
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला।





सेवा मे,

Principal GSSS Kasumbhi [457] Bhiwani

यादी क्रमांक 2/53-2022 work (1)

दिनांक पंचकुला 08-06-2022

विषय

Revalidation sanction under माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2022-23 (Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Kasumbhi [457]	Replace of roof for 3 class rooms	684000.00
	कुल राशि	684000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होता उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

*Sanjeev Kumar*  
उप अधीक्षक निर्माण  
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला

पृष्ठांकन क्रमांक 2/53-2022 work (1)

दिनांक, पंचकुला:- 06/06/2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त भिवानी।
- 5 जिला खजाना अधिकारी भिवानी।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।
- 9 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

*Sanjeev Kumar*  
उप अधीक्षक निर्माण  
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला।



सेवा में,

Principal GGSSS Gohana [3458], Sonapat

यादी क्रमांक 2/53-2022 work (1)  
दिनांक पंचकुला 08-06-2022

विषय **Revalidation sanction under माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2022-23 (Non-Recurring).**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GGSSS Gohana [3458]	Const. of kitchen shed	604000.00
2 GGSSS Gohana [3458]	Inter locking tile and const. of B/wall	1964000.00
	<b>कुल राशि</b>	<b>2568000.00</b>

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।


*Sunil Kumar*  
उप अधीक्षक निर्माण  
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला

पृष्ठांकन क्रमांक 2/53-2022 work (1)


दिनांक, पंचकुला:- 8.06.2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त सोनीपत।
- 5 जिला खजाना अधिकारी सोनीपत।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते मे स्थानान्तरित करने का कष्ट करे)
- 9 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

  
उप अधीक्षक निर्माण  
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला





सेवा में,

Principal GGHS Isarwal [464], Bhiwani

यादी क्रमांक 2/53-2022 work (1)

दिनांक पंचकुला 08-06-2022

विषय **माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2022-23 (Non-Recurring).**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GGHS Isarwal [464]	Repair work of school building	1989000.00
	<b>कुल राशि</b>	<b>1989000.00</b>

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

*Sampat Singh*  
उप अधीक्षक निर्माण  
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला

पृष्ठांकन क्रमांक 2/53-2022 work (1)

दिनांक, पंचकुला- 8-06-2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा10 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त भिवानी।
- 5 जिला खजाना अधिकारी भिवानी।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे)
- 9 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

*Sandeep Kumar*  
उप अधीक्षक निर्माण  
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला



सेवा मे,

Principal GSSS Akera [802], Mewat

यादी क्रमांक 2/53-2022 work (1)

दिनांक पंचकुला 08-06-2022

विषय Revalidation sanction under माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2022-23 (Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Akera [802]	Repair of 10 class rooms	1947000.00
	कुल राशि	1947000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

*Sunjeev Kumar*  
उप अधीक्षक निर्माण  
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला

पृष्ठांकन क्रमांक 2/53-2022 work (1)

दिनांक, पंचकुला:- 07-06-2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त मेवात।
- 5 जिला खजाना अधिकारी मेवात।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, मेवात को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।
- 9 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

*Sanjay Kumar*  
उप अधीक्षक निर्माण  
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला





GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

## Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास  
Education, Culture and Developmentउमड़ो मा ज्योतिरगम  
Lead me from Darkness to Light

www.schoolseducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GMSSSS Bhiwani Road Rohtak [2672] Rohtak

यादी क्रमांक 2/53-2022 work (1)

दिनांक पंचकुला 08-06-2022

विषय

Revalidation sanction under माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2022-23 (Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 व 0एण्ड0000 दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/53-2022 Works (1 दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रुपये की राशि खर्च कर की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GMSSSS Bhiwani Road Rohtak [2672]	Repair of building	1994360.00
	कुल राशि	1994360.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारों के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होती उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

Sanjeev Kumar  
उप अधीक्षक निर्माण  
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/53-2022 work (1)

दिनांक पंचकुला - 01.04.2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त रोहतक।
- 5 जिला खजाना अधिकारी रोहतक।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुख्या से राशि का उपयोगेता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाय।
- 7 अधीनक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे।
- 9 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।


उप अधीक्षक निर्माण  
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

## Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GGHS Kurana [2138], Panipat

यादी क्रमांक 2/53-2022 work (1)

दिनांक पंचकुला 08-06-2022

विषय **माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2022-23 (Non-Recurring).**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GGHS Kurana [2138]	Const. of B/wall कुल राशि	1230000.00 1230000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

*Sunil Kumar*  
उप अधीक्षक निर्माण  
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला

पृष्ठांकन क्रमांक 2/53-2022 work (1)


दिनांक, पंचकुला- 8/06/2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त पानीपत।
- 5 जिला खजाना अधिकारी पानीपत।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करें)
- 9 इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

*Sanjeev Kumar*  
उप अधीक्षक निर्माण  
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला





GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

## Directorate School Education

## विद्यालय शिक्षा निदेशालय

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GHS Gohran [2201], Kaithal

यादी क्रमांक 2/53-2022 work (1)  
दिनांक पंचकुला 08-06-2022विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आरु गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2022-2  
(Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 05.04.2022 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/53-2022 Works (1) दिनांक 26.04.2022 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 9000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GHS Gohran [2201]	Repair of rooms	497000.00
	कुल राशि	497000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- विद्यालयों के भवनो के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non Recurring) 2022-23 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

उप अधीक्षक निर्माण  
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला

पृष्ठांकन क्रमांक 2/53-2022 work (1)

दिनांक, पंचकुला- 18-06-2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके उनके अशा0 क्रमांक 14/0/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 05.04.2022 के संदर्भ में।
- 2 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
- 3 प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 4 अतिरिक्त उपायुक्त कैथल।
- 5 जिला खजाना अधिकारी कैथल।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, कैथल को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भू-नों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 7 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
- 8 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते मे स्थानान्तरित करने का कष्ट करे)
- 9 इन्चाज आई0टी0, सैल (शिक्षा निदेशालय)।

✓  
10/6/2022  
Ardheli

Sampal Kumar  
उप अधीक्षक निर्माण  
कृते: महानिदेशक विद्यालय शिक्षा  
हरियाणा, पंचकुला।